रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-19032021-225982
CG-DL-W-19032021-225982

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 10] नई दिल्ली, मार्च 7 - मार्च 13, 2021, शनिवार/ फाल्गुन 16 - फाल्गुन 22, 1942
No. 10] NEW DELHI, MARCH 7 - MARCH 13, 2021, SATURDAY/ PHALGUNA 16 -PHALGUNA 22, 1942

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 9 मार्च, 2021

सा.का.नि. 25.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केंद्रीय उत्पाद और सीमाशुल्क बोर्ड, आयुक्तालयों तथा निदेशालयों, निजी सचिव (समूह 'ख' पद), भर्ती नियम, 2015 को, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप

किया गया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग में आयुक्तालयों तथा निदेशालयों में निजी सचिव के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्न नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड, आयुक्तालयों तथा निदेशालयों, निजी सचिव (समूह 'ख' पद) भर्त्ती नियम, 2021 है।

(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. विशेष उपबंध.— (1) आयुक्तालयों तथा निदेशालयों के प्रत्येक संवर्ग नियंत्रक प्रधिकारी का अपना एक अलग संवर्ग होगा जब तक कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (जिसे इसमें इसके पश्चात बोर्ड कहा गया है।) द्वारा उसकी ओर से अन्यथा उपबंधित नहीं किया जाए। निष्पादन प्रबंधन महानिदेशक, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली निम्नलिखित निदेशालयों के संबंध में उक्त पद के लिए बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी होंगे, अर्थात्:-

(i) निष्पादन प्रबंधन महानिदेशालय;

(ii) राजस्व आसूचना महानिदेशालय;

(iii) माल एवं सेवा कर आसूचना महानिदेशालय;

(iv) रसद निदेशालय;

(v) करदाता सेवा महानिदेशालय;

(vi) प्रणाली और आंकड़ा प्रबंधन महानिदेशालय;

(vii) केंद्रीय राजस्व नियंत्रक प्रयोगशाला;

(viii) सतर्कता महानिदेशालय;

(ix) एन्टी प्रोफीटियरिंग महानिदेशालय;

(x) निर्यात संवर्धन महानिदेशालय;

(xi) लेखा परीक्षा महानिदेशालय;

(xii) विधिक मामले निदेशालय;

(xiii) मानव संसाधन विकास महानिदेशालय;

(xiv) मुख्य आयुक्त (प्राधिकृत प्रतिनिधि), सीमाशुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (सीइएसटीएटी);

(xv) विश्लेषिकी और जोखिम प्रबंधन महानिदेशालय;

(xvi) मूल्यांकन महानिदेशालय;

(xvii) अंतर्राष्ट्रीय सीमाशुल्क निदेशालय;

(xviii) माल एवं सेवा कर महानिदेशालय;

(2) समूह 'ख' श्रेणी में सभी विलय किए गए निदेशालय के पदों की परस्पर ज्येष्ठता को, इस संदर्भ में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या दिशा-निर्देशों के अनुसार एकीकृत किया जाएगा।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बाते वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट है।

5. निरर्हता.—वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हैं, या विवाह की संविदा की हैं;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता हैं कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय हैं और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयनित अथवा गैर-चयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अहर्ताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
निजी सचिव	340*(2021) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ख' राजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -7 (44900-142400/- रुपए)	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

क्या प्रोन्नति किए गए व्यक्ति के संबंध में, सीधी भर्ती के लिए निर्दिष्ट आयु तथा शैक्षिक अहर्ताएं लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा प्रोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/समामेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों के प्रतिशत द्वारा	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समामेलन द्वारा भर्ती के मामले, में उस श्रेणी जिससे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समामेलन किया जाना है।
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा	**प्रोन्नति:**

			वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400/- रुपए) में आशुलिपिक ग्रेड-I में, उस ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो। **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो इसकी संरचना	वे परिस्थितियां जिनमें संघ लोक सेवा आयोग से भर्ती करने में विचार-विमर्श किया जाना है
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. संवर्ग नियंत्रक प्राधिकरण के प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या निष्पादन प्रबंधन महानिदेशालय के प्रधान महानिदेशक या महानिदेशक – अध्यक्ष; 2. प्रधान आयुक्त अथवा आयुक्त या मानव संसाधन विकास महानिदेशालय के प्रधान अपर महानिदेशक या अपर महानिदेशक - सदस्य; 3. अपर या संयुक्त आयुक्त (कार्मिक और सतर्कता) या निष्पादन प्रबंधन महानिदेशालय के अपर या संयुक्त निदेशक – सदस्य;	संघ लोक सेवा आयोग से विचार-विमर्श आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए-12018/13/2012-एडी II बी]

एस.के.जैन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 9th March, 2021

G.S.R. 25.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise and Customs, Commissionerates and Directorates, Private Secretary (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2015, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Private Secretary in the Commissionerates and Directorates under the Central Board of Indirect Taxes and Customs, Department of Revenue, Ministry of Finance, namely:-

1. **Short title and Commencement.—** (1) These rules may be called the Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes and Customs, Commissionerates and Directorates, Private Secretary (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, level in the pay matrix.—**The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule.

3. **Special provision.—** (1) Each Cadre Controlling Authority of Commissionerates and Directorates shall have its own separate cadre unless otherwise specifically prescribed by the Central Board of Indirect Taxes and Customs (hereinafter referred to as the Board) in this behalf. The Directorate General of Performance Management, Central Board of Indirect Taxes and Customs, New Delhi, shall be the Cadre Controlling Authority for the said post in respect of the following Directorates, as approved by the Board, namely:-

(i) Directorate General of Performance Management;

(ii) Directorate General of Revenue Intelligence;

(iii) Directorate General of Goods and Service Tax Intelligence;

(iv) Directorate of Logistics;

(v) Directorate General of Tax Payer Services;

(vi) Directorate General of Systems and Data Management;

(vii) Central Revenues Control Laboratory;

(viii) Directorate General of Vigilance;

(ix) Directorate General of Anti-Profiteering;

(x) Directorate General of Export Promotion;

(xi) Directorate General of Audit;

(xii) Directorate of Legal Affairs;

(xiii) Directorate General of Human Resource Development;

(xiv) Chief Commissioner (AR), Customs, Central Excise and Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT);

(xv) Directorate General of Analytics and Risk Management;

(xvi) Directorate General of Valuation;

(xvii) Directorate of International Customs; and

(xviii) Directorate General of Goods and Service Tax.

(2) Inter-se-seniority of all merged Directorate posts in the grade of Group 'B' shall be integrated as per the instructions or guidelines issued by the Government of India from time to time in this regard.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—**The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualification.—**No person, -

(a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment for the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Private Secretary	340* (2021) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Ministerial.	Level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400/-).	Selection.

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitswill apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorptionand percentage of the vacancies to be filled by various method.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Promotion.

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grade from which promotion or deputation /absorption is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Stenographer Grade-I in level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400/-) with five years regular service in the grade. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	**Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering Promotion) consisting of:-** 1. Cadre Controlling Principal Chief Commissioner or Chief Commissioner or Principal Director General or Director General of Directorate General of Performance Management – **Chairman;** 2.Principal Commissioner or Commissioner or Principal Additional Director General or Additional Director General, Directorate General of Human Resource Development – **Member**; 3. Additional or Joint Commissioner (Personnel and Vigilance) or Additional or Joint Director, Directorate General of Performance Management – **Member**.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F.No. A-12018/13/2012-Ad.IIB]

S. K. JAIN, Under Secy.

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2021

सा.का.नि. 26.—कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, विपणन और निरीक्षण निदेशालय, फील्ड कैडर पदों, उप कृषि विपणन सलाहकार, सहायक कृषि विपणन अधिकारी, वरिष्ठ विपणन अधिकारी, विपणन अधिकारी (समूह- I) भर्ती नियम, 2018 भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के सा.का.नि.173 दिनांक 8.6.2018, हिंदी संस्करण के नियम 7 में, "आयु-सीमा में छूट" शब्द हटाए जाए।

इसके अलावा, अनुसूची की निम्नलिखित सामग्री को अधिसूचना के अहम हिस्सा के रूप में पढ़ा जा सकता है:

(i) पृष्ठ संख्या 1020 पर, कॉलम 6, पंक्ति 1, सहायक कृषि विपणन अधिकारी (समूह-I) के पद के लिए, 50 वर्ष से अधिक नहीं शब्दों और अंको के लिए "40 वर्ष से अधिक नहीं पढ़ा जाए"।

(ii) पृष्ठ संख्या 1024 पर, कॉलम नंबर 7, नोट 1 से पहले, वांछनीय: के अंतर्गत "अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान द्वारा प्रदान किया गया विपणन प्रबंधन में डिप्लोमा" अंतिम पंक्ति में शामिल किया जाए।

अनुसूची के अंग्रेजी संस्करण को निम्नानुसार संशोधित किया गया है:

(i) पृष्ठ संख्या 1032 पर, कॉलम 7, पंक्ति 13, विपणन अधिकारी (समूह-I) के पद के लिए, वांछनीय: के अंतर्गत, 'सिस्ट' शब्द को 'सिस्टम' पढ़ा जाए।

[सं.एफ. 12018/3/2016-एम.I]

मोहन लाल मीणा, अवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 10th March, 2021

G.S.R. 26.—In the Notification of Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare, Directorate of Marketing and Inspection, Field Cadre Posts, Deputy Agricultural Marketing Adviser, Assistant Agricultural Marketing Adviser, Senior Marketing Officer, Marketing Officer (Group-I) Recruitment Rules, 2018 published in the Gazette of India vide Notification G.S,R No. 173 dated 08.06.2018, in Rule 7 of Hindi version, the words " आयु-सीमा में छूट" may be deleted.

Further, following contents of the Schedule in Hindi version may be read as part and parcel of the Notification :

(i) At page No. 1020, Column No. 6, Line 1 for the post of Assistant Agricultural Adviser (Group- I), for the digits and words "50 वर्ष से अधिक नहीं " may be read as "40 वर्ष से अधिक नहीं "

(ii) At page No. 1024, Column No. 7, before Note 1, under वांछनीय: the words "अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान द्वारा प्रदान किया गया विपणन प्रबंधन में डिप्लोमा" may be incorporated in the last line.

English version of the Schedule is modified as under :

(i) At page No. 1032, Column 7, Line 13 under Desirable, for the post of Marketing Officer (Group-I), for the word 'Syste' may be read as 'System'.

[No.F.12018/3/2016-M.I]

MOHAN LAL MEENA, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली,12 मार्च, 2021

सा.का.नि. 27.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान, आस्का (अचिकित्सीय पर्यवेक्षक) भर्ती नियम, 2001 को उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, आस्का, ओड़िसा में अचिकित्सीय पर्यवेक्षक पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1.संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, आस्का ओड़िसा, अचिकित्सीय पर्यवेक्षक (समूहा 'ग' पद) भर्ती नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर**.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है,; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अचिकित्सीय पर्यवेक्षक	01* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500 - 81100 रु.)	अचयन	18 से 25 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)

					टिप्पण 1:- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, केन्द्रशासित प्रदेश, अंदमान और निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप या लद्दाख के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है। **टिप्पण 2** :- रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति:** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक 1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान के साथ 10+2 उत्तीर्ण 2. मान्यता प्राप्त संस्थान से अठारह महीने का बहुउद्देशीय स्वास्थय कर्मकार प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो और दो महीने का प्रशिक्षुता की गयी हो। **वांछनीय:** 1.कुष्ठ के क्षेत्र में काम करने का अनुभव। 2.ओड़िया भाषा का ज्ञान। **टिप्पण:** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभयर्थियों की दशा में सक्षम प्रधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा दोनो के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परार्मश किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में स्तर-3 (21700-69100रु.) में पैरा मेडिकल कर्मकार जो इस श्रेणी में पांच वर्षों की नियमित सेवा की हो। **प्रतिनियुक्ति:** केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी जो :- (क) (i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) वर्तमान विभाग या काडर में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-3 (21700-69100रु.) में नियुक्ति के पश्चात पांच वर्षो की नियमित सेवा की हो। (ख) स्तंम्भ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं रखता हो। **टिप्पण 1** :- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2** :-प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	**विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि/प्रोन्नति के संबध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-** 1. निदेशक, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुंसधान संस्थान, आस्का - अध्यक्ष 2.मुख्य चिकित्सा अधिकारी, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुंसधान संस्थान, आस्का - सदस्य 3.ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, आस्का -सदस्य 4.उस क्षेत्र के केन्द्रीय या राज्य सरकार के किसी अन्य कार्यालय से एक राजपत्रित अधिकारी-सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा.सं. ए-12018/13/2018-कुष्ठ]

शोरन सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 12th March, 2021

G.S.R. 27.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Regional Leprosy Training and Research Institute, Aska (Non-Medical Supervisor) Recruitment Rules, 2001, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Non-Medical Supervisor in the Regional Leprosy Training and Research Institute, Aska, Odisha, namely:-

1.Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Regional Leprosy Training and Research Institute, Aska, Odisha, Non-Medical Supervisor (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.—The number of said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for the reasons recorded to be in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-Servicemen or any other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Non-Medical Supervisor	1*(2021) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group ‘C’ (Non-gazetted), Non-Ministerial.	Level-4 (Rs.25,500-81,100/-).	Non-selection.

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 and 25 years (The upper age limit is relaxable for Government Servants upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) **Note 1.-** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh and Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep and Ladakh. **Note 2.-** In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.	**Essential:** (i) Passed 10+2 with Science from a recognised Board; (ii) Multipurpose Health Workers Training Certificate of eighteen months and two months internship from recognised Institute. **Desirable:** 1. Experience of field work in the field of Leprosy. 2. Knowledge of Odia. **Note:** Qualifications are relaxable at the discretion of Competent Authority in case of candidates otherwise well qualified.	Not applicable	Two years for direct recruits

Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation /absorption grade from which promotion or deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion failing which by deputation failing both by direct recruitment.	**Promotion:** Para Medical Worker in Level-3(Rs.21700-69100) in the pay matrix with five years regular service in the grade. **Deputation:** Officers of the Central Government,- (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the level 3 (Rs.21700-69100) in the pay matrix in the present cadre or Department; (b) possessing the qualification prescribed for direct recruits under column (7). **Note:1.** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2:** The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date for receipt of applications.	**Composition of Departmental Promotion Committee (for considering promotion or confirmation) consisting of :-** 1.Director, Regional Leprosy Training and Research Institute, Aska - Chairman. 2.Chief Medical Officer, Regional Leprosy Training and Research Institute, Aska - Member. 3. Sr. Medical Officer, Regional Leprosy Training and Research Institute, Aska -Member. 4. A Gazetted Officer from another Central or State Government office in the area - Member.	Not applicable.

[F. No. A-12018/13/2018-Lep]

SHORAN SINGH, Under Secy.

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(उर्वरक विभाग)

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2020

सा.का.नि. 28.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति एतद्वारा रसायन और उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग में स्टाफ कार ड्राइवरों के पदों की भर्ती की पद्धति को विनियमित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात:

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ.—** (1) इन नियमों को रसायन और उर्वरक मंत्रालय, (उर्वरक विभाग) स्टाफ कार ड्राइवर (समूह 'ग'पद) भर्ती नियम, 2020 कहा जाएगा।

   (2) ये नियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. **लागू होना.**—ये नियम इन नियमों की संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा पे मैट्रिक्स में लेवल.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, योग्यता, आदि .**—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और इससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट है ।

5. **प्रारंभिक गठन:** इन नियमों के प्रारंभ से तत्काल पूर्व नियमित आधार पर स्टाफ कार चालक साधारण ग्रेड के पद के पदधारकों को इन नियमों के तहत नियुक्त किया गया समझा माना जाएगा और उक्त पद पर उनकी निरंतर सेवा को परिवीक्षा, पदोन्नति और पेंशन के लिए अर्हक सेवा के लिए विचार किया जाएगा।

6. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है,; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

7. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

8. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे मैट्रिक्स में लेवल	क्या चयन पद अथवा गैर-चयन पद है	सीधी भर्ती हेतु आयु-सीमा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. स्टाफ कार ड्राइवर (ग्रेड-।)	01* (2020) कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	लेवल-5 (रु. 29200-92300/-)	गैर-चयन	लागू नहीं

सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति**: क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा प्रोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा/आमेलन द्वारा की गई है और विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	पदोन्नति द्वारा

पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किन श्रेणियों से किया जाएगा	यदि विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है, तो इसकी संरचना क्या है	भर्ती के लिए किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
(11)	(12)	(13)
पदोन्नति: लेवल-4 (रु.25500-81100/-) में ऐसे स्टाफ कार ड्राइवर ग्रेड-।। जिन्होंने उस ग्रेड में छह वर्षों की नियमित सेवा अथवा स्टाफ कार ड्राइवर ग्रेड-।। और स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण ग्रेड) में पंद्रह वर्ष की संयुक्त सेवा की हो और सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट ट्रेड परीक्षा पास की हो। **टिप्पणी:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, अथवा पदोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां पर उनके वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम की न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, ऐसी अर्हता या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	**समूह 'ग'विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने हेतु) में निम्नलिखित शामिल होंगे:** (1) संयुक्त सचिव (प्रशासन), उर्वरक विभाग - अध्यक्ष; (2) निदेशक (स्थापना), उर्वरक विभाग - सदस्य; और (3) अवर सचिव (स्थापना), रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग - सदस्य	लागू नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. स्टाफ कार ड्राइवर (ग्रेड-।।)	01* (2020) कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	लेवल-5 (रु. 25500-81100/-)	गैर-चयन	लागू नहीं

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	पदोन्नति द्वारा

(11)	(12)	(13)
पदोन्नति: लेवल-2 (रु.19900-63200/-) में ऐसे स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण ग्रेड) जिन्होंने उस ग्रेड में नौ वर्ष की नियमित सेवा की हो और सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट ट्रेड परीक्षा पास की हो। **टिप्पणी:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, पदोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, उन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	**समूह 'ग'विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने हेतु) में निम्नलिखित शामिल होंगे:** (1) संयुक्त सचिव (प्रशासन), उर्वरक विभाग - अध्यक्ष; (2) निदेशक (स्थापना), उर्वरक विभाग - सदस्य; और (3) अवर सचिव (स्थापना), रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग - सदस्य	लागू नहीं ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण ग्रेड)	02* (2020) कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	लेवल-5 (रु. 19900-63200/-)	लागू नहीं	18 से 25 वर्ष के बीच।* (केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक के लिए शिथिलनीय)। **नोट:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्धारित तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर के लद्दाखखंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए नियत की गई है)। *यदि 'सीधी भर्ती'सीधी खुली प्रतियोगी परीक्षा द्वारा की जानी है तो आयु सीमा 18 से 27 वर्ष होगी।

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक: (i) मोटर कार चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस रखता हो; (ii) मोटर मैकेनिज्म की जानकारी (अभ्यर्थी वाहनों की छोटी-मोटी खराबियां ठीक कर सकता हो); (iii) मोटर कार चलाने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव रखता हो; और	लागू नहीं	सीधी भर्ती अथवा पुनर्नियोजित के मामले में दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए: प्रतिनियुक्ति अथवा पुनर्नियोजन

(iv) दसवीं कक्षा पास हो। **वांछनीय:** होम गार्ड अथवा सिविल वॉलंटियर के रूप में तीन वर्ष की सेवा। **टिप्पणी-1:**सक्षम प्राधिकारी के विवेक से अनुभव संबंधी अर्हता में छूट दी जा सकती है। **टिप्पणी-2:**अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन जातियों के अभ्यर्थियों के मामले में चयन के किसी स्तर पर यदि सक्षम प्राधिकारी का यह राय हो कि उनके लिए आरक्षित रिक्ति को भरने के लिए ऐसे समुदायों से अपेक्षित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।			

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन: उर्वरक विभाग में लेवल-1 (रु. 18000-56900/-) में ऐसे डिस्पैच राइडर (समूह 'ग') और समूह 'ग'कर्मचारी जो मोटर कार चलाने में सक्षमता के निर्धारण हेतु ड्राइविंग टैस्ट के आधार पर मोटर कार चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस रखते हों। ऐसा न होने पर केंद्र सरकार के अन्य मंत्रालयों में लेवल-1 (रु. 18000-56900/-) में डिस्पैच राइडर का नियमित आधार पर पद धारण करने वाले कर्मचारी अथवा समूह 'ग'के नियमित कर्मचारी जो कॉलम (7) में यथाउल्लिखित आवश्यक अर्हताएं रखते हों। सशस्त्र बल कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति अथवा पुनर्नियोजन: सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों पर भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवा-निवृत्त होने वाले हैं अथवा रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जो अपेक्षित अनुभव और निर्धारित अर्हताएं रखते हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक के लिए प्रतिनियुक्ति दी जाएगी जब वे सशस्त्र बलों से कार्यमुक्त होंगे; तत्पश्चात वे पुनर्नियोजन पर बने रह सकते हैं। **टिप्पणी** : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें इसी अथवा केंद्र सरकार के किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति के तत्काल पूर्व धारित अन्य संवर्ग-बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, सामान्यत: तीन वर्ष से अधिक की नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा नियुक्त की अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक की नहीं होगी।	**समूह 'ग'विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने हेतु) में निम्नलिखित शामिल होंगे:** (1) निदेशक (स्थापना), उर्वरक विभाग - अध्यक्ष; (2) अवर सचिव (स्थापना), उर्वरक विभाग- सदस्य; और (3) अवर सचिव (स्थापना), रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग - सदस्य	लागू नहीं ।

[फा. सं.ए-42011/01/2018-स्था.]

तिलक राज, अवर सचिव

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department Of Fertilizers)

New Delhi, the 23rd December, 2020

G.S.R. 28 .—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment of the posts of Staff Car Drivers in the Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals and Fertilizers, namely :-

1. **Short title and commencement .—** (1) These rules may be called the Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Fertilizers, Staff Car Drivers (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application .—**These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and level in pay matrix .—**The number of said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the said schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. .—**The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters connected therewith, shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid schedule.

5. **Initial Constitution .—**The incumbents holding the post of Staff Car Drivers Ordinary Grade on regular basis immediately before the commencement of these rules shall be deemed to have been appointed under these rules and their continuous service in the said post shall be taken into consideration for the purpose of qualifying service for probation, promotion and pension.

6. **Disqualification .—**No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from operation of these rules.

7. **Power to relax .—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for the reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

8. **Saving .—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-serviceman and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Staff Car Driver (Grade I).	01* (2020) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non- Gazetted, Non-Ministerial.	Level-5 (Rs. 29200-92300/-).	Non-selection.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation , if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and

			percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Staff Car Driver Grade-II in level-4 (Rs 25500-81100/-) with six years regular service in the grade or with a combined service of fifteen years in Staff Car Driver Grade-II and Staff Car Driver (Ordinary Grade) and have passed the trade test, specified by the Government. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	**Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :** (1) Joint Secretary (Administration) Department of Fertilizers –Chairperson; (2) Director (Establishment) Department of Fertilizers - Member; and (3) Under Secretary (Establishment), Department of Chemicals and Petrochemicals – Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Staff Car Driver (Grade II)	01* (2020) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-4 (Rs. 25500-81100/-)	Non -selection	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion

(11)	(12)	(13)
Promotion: Staff Car Driver (Ordinary Grade) in level-2 matrix (Rs. 19900-63200/-) with nine years of regular service in the grade and have passed the trade test, specified by the Government. **Note** : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility	**Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :** (1) Director (Administration) Department of Fertilizers – Chairperson; (2) Under Secretary (Establishment), Department of Fertilizers - Member; and (3) Under Secretary (Establishment), Department of Chemicals and Petrochemicals – Member.	Not applicable.

service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Staff Car Driver. (Ordinary Grade).	*02 (2020) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level 2 (Rs. 19900-63200/-).	Not applicable.	Between 18 - 25 years.* (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note.-** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir state, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territory of Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). * If the 'direct recruitment' is to be made by 'direct open competitive Examination, the age limit would be 18-27 years.

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: (i) possession of a valid driving license for motor cars; (ii) knowledge of motor mechanism (the candidate should be able to remove minor defects in vehicles); (iii) experience of driving a motor car for at least three years; and (iv) pass in tenth standard. **Desirable:** Three years' service as Home Guard or Civil Volunteers. **Note 1.-** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority. **Note 2.-** In the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that the sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	Not applicable	Two years for direct recruits or re-employed	Deputation or absorption failing which by direct recruitment. For Armed Forces **Personnel:** Deputation or re-employment.

(11)	(12)	(13)
Deputation or absorption: From amongst the regular Dispatch Rider (Group 'C') and Group 'C' employees in level-1 (Rs.18000-56900/-) in the Department of Fertilizers who possess valid Driving License for Motor Cars on the basis of a Driving Test to assess the competence to drive Motor Cars failing which from officials holding the post of Dispatch Rider on regular basis or regular Group 'C' employees in Level-1 (Rs.18000-56900) in other Ministries of the Central Government who fulfill the necessary qualifications as mentioned in column (7). **Deputation or re-employment for Armed Forces Personnel:** The Armed forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment. **Note:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation or absorption shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	**Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of** : (1) Director (Establishment) Department of Fertilizers – Chairperson; (2) Under Secretary (Establishment),Department of Fertilizers - Member; and (3) Under Secretary (Establishment), Department of Chemicals and Petrochemicals – Member.	Not applicable.

[F. No. A-42011/01/2018-Estt.]

TILAK RAJ, Under Secy.

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2020

सा.का.नि.29 .—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रसायन और उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग में बहु-कार्य कर्मचारिवृंद ; (समूह 'ग') पद पर भर्ती पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रसायन और उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग, बहु-कार्य कर्मचारिवृंद भर्ती नियम 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वें होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बाते वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. प्रारंभिक गठन.— (1) ऐसे कार्मिक जो इन नियमों के प्रारंभ की तारीख पर नियमित आधार पर पद धारण कर रहे हैं, इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार नियुक्त किए गए समझे जाएंगे।

(2) प्रारंभिक गठन के पूर्ववर्ती उप नियम 1 में उल्लिखित कार्मिक द्वारा की गई निरंतर सेवा को परीवीक्षा, पुष्टि और पेंशन की सेवा में परीवीक्षा अवधि और अर्हक सेवा के प्रयोजनों के लिये गणना में लिया जायेगा।

5 निरर्हता.—वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है,: या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति .—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
बहु-कार्य कर्मचारिवृन्द	27* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-। (18000-56900रु)	लागू नहीं होता	**18 और 27 वर्ष के बीच** **टिप्पण 1:-** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तरीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख़, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य

					टिप्पण 2:- रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति**: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	**लागू नहीं होता।**

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. निदेशक (प्रशासन) या उप सचिव प्रशासन, उर्वरक विभाग – अध्यक्ष; 2. अवर सचिव (प्रशासन), उर्वरक विभाग – सदस्य; और 3. अवर सचिव (प्रशासन), रसायन और पेट्रोरसायन विभाग – सदस्य।	लागू नहीं होता।

[फा.सं.ए-23011/25/2019-प्रशा.]

तिलक राज, अवर सचिव

स्पष्टीकारक ज्ञापन:- ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे तथापि नियम 4, उक्त नियम में निर्दिष्ट पदधारियों की सेवा के विनियमतीकरण को ध्यान में रखते हुए भूतलक्षी प्रभाव से प्रवृत्त होगा और यह प्रमाणित किया जाता है कि विनियम 4 को भूतलक्षी प्रभाव देने में किसी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

New Delhi, the 23rd December, 2020

G.S.R. 29 .—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Multi-Tasking Staff (Group – C) in the Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals and Fertilizers, namely :-

1. **Short title and commencement.—** (1) These rules may be called the Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Fertilizers (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.—**The number of the post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in the columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age - limit and other qualifications, etc.—**The method of recruitment, age - limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Initial Constitution.— (1) The personnel holding the post on regular basis, before the commencement of these rules, shall be deemed to have been appointed in accordance with provisions of these rules.

(2) The regular continuous service of personnel mentioned in the sub-rule (1) prior to the initial constitution shall count for the purpose of probation period, qualifying service for promotion, confirmation and pension in the service.

5. **Disqualification.—**No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage, and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do,it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age - limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix
(1)	(2)	(3)	(4)
Multi-Tasking Staff.	27 * (2020) *Subject to variation dependent on the workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level -1 (Rs. 18000-56900).

Whether selection or non selection post	Age - limit for direct recruits
(5)	(6)
Not applicable	Between 18 and 27 years of age. **Note1:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates from India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union territory of Ladakh, LahaulandSpiti District and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep. **Note2:** In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age - limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees
(7)	(8)
Matriculation or equivalent pass from a recognised Board	Not applicable

Period of Probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation/ absorption is to be made
(9)	(10)	(11)
Two years	By direct recruitment	Not applicable

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of: 1. Director (Establishment) or Deputy Secretary (Establishment), Department of Fertilizers – Chairperson; 2. Under Secretary (Establishment),Department of Fertilizers – Member; and 3. Under Secretary (Establishment), Department of Chemicals and Petrochemicals – Member.	Not applicable.

[F. No. A-23011/25/2019-Estt.]

TILAK RAJ, Under Secy.

Explanatory memorandum:- These rules shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette, however, rule 4 shall come into force with retrospective effect with a view to regularize the service of the incumbents referred to in the said rule and it is certified that by giving retrospective effect to rule 4, the interest of no person is likely to be adversely effected.

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(मत्स्यपालन विभाग)

नई दिल्ली, 8 मार्च 2021

सा.का.नि. 30.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कृषि मंत्रालय, केन्द्रीय मत्स्य उद्योग तटीय इंजीनियरी संस्थान, बंगलौर (बहु कार्य कर्मचारी वृन्द), समूह 'ग' भर्ती नियम, 2011 उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, मत्स्यपालन विभाग के अधीन केन्द्रीय मत्स्य उद्योग तटीय इंजीनियरिंग संस्थान में बहु कार्य कर्मचारी वृन्द के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मत्स्य उद्योग तटीय इंजीनियरिंग संस्थान बंगलौर, बहु कार्य कर्मचारी वृन्द (समूह 'ग') भर्ती नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष, प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अध्ययन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बहुं कार्य कर्मचारी वृन्द	05* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18,000-56,900 रु.)	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच **टिप्पण1-** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यार्थियों से आवदेन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख संघ सासित क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यार्थियों के लिए विहित की गई है। **टिप्पण 2-** रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यार्थियों की दशा में आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धतिः** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विहित पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
मैट्रिकुलेशनु या समतुल्य	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

जाएगा		
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	**समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगेः-** 1. निदेशक, केन्द्रीय मत्स्य उद्योग समिति तटीय इंजीनियरी संस्थान, बंगलौर - अध्यक्ष 2. उप निदेशक (सिविल इंजीनियरी), केन्द्रीय मत्स्य उद्योग तटीय इंजीनियरी संस्थान, बंगलौर - सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय मत्स्य उद्योग तटीय इंजीनियरी संस्थान, बंगलौर - सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा.सं. 4-12/2020-प्रशा.V]

खाम खान सुआन, अवर सचिव

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

(Department of Fisheries)

New Delhi, the 8th March, 2021

G.S.R. 30 .—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution and in supersession of the Ministry of Agriculture, the Central Institute of Coastal Engineering for Fishery Bangalore (Multi Tasking Staff), Group 'C', Recruitment Rules, 2011, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Multi Tasking Staff in Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bangalore under the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Department of Fisheries, namely: -

(1) Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bangalore, Multi Tasking Staff, (Group 'C'), Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, level in the pay matrix.—The number of said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit and other qualification, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualifications.—No Person, -

(i) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or

(ii) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedules Tribes, Other Backward classes, Ex-serviceman and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard

SCHEDULE

Name of the Post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether Selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Multi Tasking Staff	05* (2021) * subject to Variation dependent on work load	General Central Service (Group 'C') Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level – 1 (Rs. 18,000 - Rs 56,900)	Not applicable	Between 18 and 25 years **Note1**: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India(and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union territory Ladakh, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). **Note 2:** In respect of posts to which the appointments are made through the employment exchange, the crucial date for determining the age-limit shall be the last date up to which the employment exchanges are asked to submit the names.

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, graded from which promotion or deputation or absorption to be made
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Matriculation or equivalent	Not applicable	Two years	By direct recruitment	Not applicable

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee for considering confirmation consisting of: - 1. Director, Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bangalore – Chairman; 2. Deputy Director (Civil Engineering) Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bangalore – Member; 3. Administrative Officer, Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bangalore -Member.	Not applicable.

[F.No.4-12/2020-Admn.V]

KHAM KHAN SUAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2021

सा.का.नि. 31 .—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय मीन उद्द्योग तटीय इंजीनियरी संस्थान, (प्रशासनिक अधिकार और लेखाकार) भर्ती नियम, 2011 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, मत्स्यपालन विभाग के अधीन केंद्रीय मीन उद्योग तटीय इंजीनियरी संस्थान, बेंगलौर में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मीन उद्योग तटीय इंजीनियरी संस्था (प्रशासनिक अधिकारी) भर्ती नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, स्तंभ आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.—**इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ें वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
प्रशासनिक अधिकारी	1* (2021) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित अनुसचि-वीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -7 (44,900-1,42,400 रू.)	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है i) **टिप्पणी :-** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह

					अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, केन्द्र शासित प्रदेश के लदाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति :** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/अमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक:- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री। (ii) किसी सरकारी कार्यालय या किसी लोक निकाय में प्रशासन लेखा और स्थापना कार्य का दो वर्ष का अनुभव **टिप्पणी 1 :-** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारण सहित जो लेखबद्ध किए जाए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पणी 2 :-** अनुभव संबंधी अर्हताएं कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यार्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अन्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	सम्मिश्रत पद्धति – (प्रतिनियुक्ति सह-प्रोन्नति) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)

सम्मिश्रत पद्धति – (प्रतिनियुक्ति सह-प्रोन्नति): केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन ऐसे अधिकारी-: (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर – 6 (35,400-1,12,400/-रू.) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की है, और (iii) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हैं। **टिप्पणी 1:** वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (35,400-1,12,400/- रू.) में ऐसे विभागी लेखाकार जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है, बाहरी व्यक्तियों के साथ-साथ विचार किया जाएगा और उस पद पर नियुक्ति के लिए चयन किए जाने की दशा में, उक्त पद प्रोन्नति के द्वारा भरा गया समझा जाएगा। **टिप्पणी 2** : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पणी :-** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनयुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	**विभागीय प्रोन्नति समिति प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए जिसमें निम्नलिखित होंगे :-** 1. निदेशक, केन्द्रीय मीन उद्योग, तटीय इंजीनियरी, संस्थान, बेंगलौर - अध्यक्ष 2. उपनिदेशक (सिविल इंजीनियरी), केन्द्रीय मीन उद्योग, तटीय इंजीनियरी संस्थान, बेंगलौर - सदस्य 3. उपनिदेशक (आर्थिक), केन्द्रीय मीन उद्योग तटीय इंजीनियरी संस्थान,बेंगलौर - सदस्य **विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-** 1. निदेशक, केन्द्रीय मीन उद्योग, तटीय इंजीनियरी, संस्थान, बेंगलौर - अध्यक्ष 2. उपनिदेशक (सिविल इंजीनियरी), केन्द्रीय मीन उद्योग, तटीय इंजीनियरी संस्थान, बेंगलौर - सदस्य 3. उपनिदेशक (आर्थिक), केन्द्रीय मीन उद्योग तटीय इंजीनियरी संस्थान,बेंगलौर - सदस्य	इस पद पर नियुक्ति के लिए प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा.सं. 4-11/2020-प्रशा.V]

खाम खान सुअन, अवर सचिव

New Delhi, the 11th March, 2021

G.S.R. 31.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution and in supersession of the Central Institute of Coastal Engineering for Fishery (Administrative Officer and Accountant). Recruitment Rules, 2011, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Administrative Officer in Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bangalore under the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Department of Fisheries, namely: -

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, (Administrative Officer) Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and pay band and grade pay or pay scale.—The number of said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit and other qualification, etc. .— The method of recruitment to the said post, age-limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualifications.— No Person, -

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other ground for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reason to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedules Tribes, the Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of posts	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Administrative Officer.	1* (2021) * subject to Variation dependent on work load.	General Central Service Group 'B' Gazetted Ministerial.	Level – 7 (Rs. 44,900 – 1,42,400).	Not applicable.	Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union territory of Ladakh, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: (i) Degree from a recognized University; (ii) Two years' experience of administrative, accounts and establishment work in Government office or in a public body. **Note 1**: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.	Not applicable	Two years for direct recruits	Composite Method (Deputation plus Promotion) failing which by direct recruitment

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.
(11)
Composite Method (Deputation plus Promotion): 1. Officers under the Central Government or State Governments or Union territories: — (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) With five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the level – 6 (Rs. 35,400 – 1,12,400) or equivalent inthe parent cadre or department; and (b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). **Note 1:** The Departmental Accountant in the level – 6 (Rs. 35,400 – 1,12,400) with five years' regular service in the grade shall also be considered along with outsiders and in case he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion. **Note 2:** The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment by deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 3:** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of application.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: — 1. Director, Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bangalore — Chairman 2. Deputy Director (Civil Engineering), Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bangalore — Member 3. Deputy Director (Economist), Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bangalore --- Member **Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:** 1. Director, Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bangalore — Chairman 2. Deputy Director (Civil Engineering), Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bangalore — Member 3. Deputy Director (Economist), Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bangalore --- Member	Consultation with Union Public Service Commission is necessary for appointment to the post on every occasion.

[F.No.4-11/2020-Admn.V]

KHAM KHAN SUAN, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.03.19 10:34:28 +05'30'